राजस्थान संगीत नाटक अकादमी,जोधपुर
युवा नाट्य समारोह

प्रदेश के युवा रंगकर्मियों तथा युवा नाट्य निर्देशकों को प्रोत्साहन देने व उनमें रंगकर्म के प्रति रूझान बढ़ाने के उद्देश्य से अकादमी द्वारा युवा नाट्य समारोह की योजना संचालित की जाती है। इस योजनान्तर्गत प्रदेश के 35 वर्ष तक की आयु के युवा निर्देशकों से नाट्य प्रविष्टयां आमंत्रित करके चयनित नाटकों का मंचन प्रदेश के किसी एक स्थान पर समारोह के रूप में करवाया जाता है।

नियम

1.	ये नियम ' युवा नाट्य समारोह के नाम से जाने जायेंगें।
2.	इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 35 वर्ष तक की आयु के युवा निर्देशक हिस्सा ले सकेंगे।
3.	समारोह में हिस्सा लेने वाले निर्देशकों को नाटक का प्रस्ताव भिजवाते समय प्रस्तावित नाटक के संबंध में विस्तृत जानकारी यथाः नाटक का नाम,निर्देशक, कथासार,पात्र परिचय,नाटक की अवधि, कलाकारों की कुल संख्या,नाट्य स्क्रिप्ट इत्यादि सहित अकादमी को आवेदन करना होगा।
4.	इस योजना के अन्तर्गत वे ही नाटक सम्मिलित किये जायेंगे जिनका पूर्व में कम से कम एक प्रदर्शन हो चुका हो।
5.	इस योजना मे सामान्यतया हिन्दी व राजस्थानी भाषा के नाटक ही सम्मिलित किये जायेंगे, जिनकी न्यूनतम समयावधि एक घंटा तीस मिनट हो।
6.	आयोजक द्वारा सामान्यतया नाटक मंचन हेतु मंच,विधुत उपकरण व माईक की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जायेंगी।
7.	मंच सज्जा,रूप सज्जा व अन्य साधन/सामग्री की व्यवस्था प्रदर्शनकारी दल को स्वंय करनी होगी।
8.	नाटक के लेखक, निर्देशक की स्वीकृति व उनके मानेदय की जिम्मेदारी प्रदर्शनकारी दल की ही होगी।
9.	समारोह हेतु नाटकों का चयन नाटक चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन समिति प्राप्त आवेदनों के अतिरिक्त किसी अन्य युवा निर्देशक का नाटक भी चयन कर सकेगी।
10.	आमंत्रित नाट्य दलों को निम्नांकित मानदेय देय होगा :– 1. स्थानीय नाट्य दलों को एक मुश्त – 35,000/– रूपये 2. बाहरी नाट्य दल को एक मुश्त 50,000/– रूपये जिसमें दल का आने–जाने का किराया, भोजन व्यय व अन्य सभी व्यय सम्मिलित होंगे। आवास की व्यवस्था स्थानीय आयोजक संस्था द्वारा की जावेंगी।
11.	प्रतिभागी दलों को अपने गंतव्य स्थान से प्रस्थान की सूचना एवं समारोह स्थल पर पहुंच की रिर्पोट करना आवष्यक है।
12.	योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पर निर्णय, मंचन तिथि का निर्धारण, योजना में किसी प्रकार का संशोधन, कार्यक्रम स्थगन,निरस्त करने संबंधी अधिकार अकादमी का होगा।